न्यायालय – विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, नसीराबाद,
(अपर सेशन न्यायाधीश नसीराबाद, अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : नवीन मीणा, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आवेदन पत्र संख्या 65/2026
सी.आई.एस. संख्या : 65/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 220/2021
पुलिस थाना : नसीराबाद सदर , जिला अजमेर
अपराध अन्तर्गत धारा : 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट

श्री चन्द पुत्र श्री बिरधी लाल लोधा उम्र 45 साल निवासी ग्राम सेवन्या पुलिस थाना छीपा बडौद जिला बांरा, राजस्थान

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक

–– अभियोगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस

उपस्थितः–
1– श्री रामावतार, श्री फिरोज खान – अधिवक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री महेन्द्र चौधरी – अपर लोक अभियोजक– राज्य की ओर से

::आदेश:: **दिनांकः–13–03–2026**

01– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 220/2021

अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस एक्ट पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर में जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस का दिनांक 11–03–2026 को पेश किया गया, जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

02– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर में एफ.आई.आर नं. 220/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रार्थी को पुलिस द्वारा झूंठा फंसाया गया है । प्रार्थी से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है और ना ही अनुसंधान शेष है, प्रार्थी नवयुवक है एवं उसके लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पडेगा। प्रार्थी अपने परिवार में एक मात्र कमाने वो व्यक्ति है । प्रार्थी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, तद्नुसार उसके फरार होने की भी कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी श्रीमान के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तत्पर है व तैयार है। उक्त प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है।

03– विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी /अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया। दौराने बहस उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी के खिलाफ पूर्व में भी निम्नांकित प्रकरण पंजीबद्ध है–

01 श्री चन्द	छीपा बडौद	सी एस नम्बर 246/28 1–2008	323, 341 भारतीय दण्ड संहिता
	छीपा बडौद	सी एस नम्बर 69/19-03-2013	323, 341, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता
	छीपा बडौद	सी एस नम्बर 65/29-03-2016	323, 341, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता
	कवाई	सी एस नम्बर 103/09	धारा 8/15 एन डी पी एस एक्ट

04– पत्रावली का अवलोकन किया गया। पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा का विवरण–

नाम अभियुक्त	पुलिस अभिरक्षा	न्यायिक अभिरक्षा
श्री चन्द	24-02-2026-25-02-2026	25-02-2026 से लगातार

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 25–08–2021 को पुलिस निरीक्षक श्री राजेश कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर को सूचना प्राप्त होने पर समय 12.35 पी एम पर कोटा तिराहे पर नाकाबन्दी के दौरान समय 1.20 पी एम पर इत्तला अनुसार एक ग्रे कलर की स्वीफट डिजायर कार नम्बर आर.जे.14 सी एन 9868 सरवाड की तरफ से तेज गति से आने व उसके चालक द्वारा वाहन को भगाने पर उसका पीछा कर ग्राम लोहरवाडा से सनोद की तरफ आगे खेतों में छोडकर भाग गया, जिसे ढूंढने का प्रयास किया परन्तु कोई नहीं मिला इस पर वाहन की जांच की गई, दौराने जांच पांच प्लास्टिक के कटटों को खोलकर चैक किया तो उक्त प्लास्टिक के कटटो में अफीम डोडा पोस्त चूरा होना पाये जाने पर वाहन को जब्त किया जाकर उक्त अवैध मादक पदार्थ का वजन किया तो कटटो सहित कुल वजन 10 किलो 900 ग्राम हआ जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 220/2021 अन्तर्गत धारा 467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 8/15 एन डी पी एस एस एक्ट में पंजीबद्व कर अनुसंधान आरंभ किया गया एवं दौराने अनुसंधान सह अभियुक्त अनिल की इत्तला के आधार पर प्रार्थी /अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/ 29 एन डी पी एस एक्ट के तहत गिरफतार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी या अनुसंधान शेष नहीं है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं। प्रकरण में अनुसंधान एवं तत्पश्चात के विचारण में समय लगने की संभावना है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अन्वीक्षा में लगने वाले समय के मद्देनजर अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

05– अतः प्रार्थी/अभियुक्तश्री चन्द पुत्र श्री बिरधी लाल लोधा द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्वुसार स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 25,000/–रूपये 25,000/–रूपये की दो जमानत (जिनमें से एक जमानती अभियुक्त का निकटतम रिश्तेदार हो) एवं 50,000/रूपये का

स्वयं का बंधपत्र न्यायालय की संतुष्टीनुसार इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह प्रत्येक तारीख पेशी पर नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(नवीन मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
नसीराबाद, अजमेर।

06– आदेश आज दिनांक 13–03–2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नवीन मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
नसीराबाद, अजमेर।

MANGAL SINGH SHEKHAWAT

Digitally signed by MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Date: 2026.03.13 16:10:44 +0530